उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-138/2017/880/92-2-17-10जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 09 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, के पद पर कार्यरत रहते हुए श्री के0जे0 अहमद द्वारा सम्पादित कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 (तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ) जॉच में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 48,878.00 हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-137/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा श्री के0जे0 अहमद तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री अहमद के पत्र दिनांक 25.06.2014 द्वारा अपना बचाव उत्तर शासन में प्रस्तुत किया गया। उक्त बचाव उत्तर पर शासन के पत्र सं0-1626/92-2-16-10जांच/2013 दिनांक 24.08.2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से आख्या मांगी गयी, जो उनके पत्र सं0-जी-205/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/2017-18 दिनांक 01.06.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी के0जे0 अहमद के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी अधिाकारी का बचाव उत्तर, बचाव उत्तर पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री के0जे0 अहमद तत्का0 अधिशासी अभियंता पर पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न किया जाना पाया गया। मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जॉच में परिलक्षित शासकीय क्षति की नियमानुसार वसूली श्री अहमद से किये जाने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-137/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा श्री के0जे0 अहमद, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस को निम्नवत "**परिनिन्दा**" का दण्ड देते हुये एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में कराये गये निर्माण कार्यो में उदासीनता/लापरवाही बरतने, पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन न करने के लिए श्री के0जे0 अहमद, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर को **परिनिन्दित** किया जाता है।" यह परिनिन्दा वर्ष 2016-17 के लिये मानी जायेगी।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-138/2017/880/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-
205/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/2017-18 दिनांक 01.06.2017 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 48,878.00 में से श्री अहमद के अंश का नियमानुसार वसूली करने का कष्ट करें।

2- श्री के0जे0 अहमद, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रविष्टि श्री के0जे0 अहमद के चरित्र पंजिका में रखी जाय।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।